सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर,

पत्रांक 342 /सा0नि0अनु0 / न0नि0सहा0 दिनांक 23/11/17

अभिव्यक्ति की रूचि हेतु प्रस्ताव आमन्त्रण

सहारनपुर नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रवेश स्थलों पर प्रवेश द्वारों के अधिष्ठापन करने एवं उनके नियमित रूप सें संचालन / अनुरक्षण किये जाने के लिए बी0ओ0टी0 के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए लगाये जाने हेतु इच्छुक मान्यता प्राप्त व प्रसिद्ध संस्थानों / फर्मो जिनको इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो तथा कम्पन्नी / फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर अंकन रूपयें 25.00 करोड़ हो, से प्रस्ताव / ऑफर आमन्त्रित किये जाते है। इनके द्वारा आलोच्य अवधि में विज्ञापन कर आय / व्यय का मूल्यांकन करते हुए, विस्तृत विवरण अपने ऑफर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्मो को नगर निगम द्वारा केवल वांछित भूमि / चौराहे उपलब्ध कराये जायेगें। इस पर होने वाला समस्त व्यय संस्था / फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः ऐसी इच्छुक संस्थानों / फर्मो से विलम्बतः दिनांक 23.12.2017 को सांय 5:00 बजें तक अपने प्रस्ताव / ऑफर मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त किसी भी प्रस्ताव / ऑफर पर विचार नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्य समस्त जानकारी मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस व समय में प्राप्त कर सकते है। प्रस्ताव के साथ अनुभव आदि के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। सूचना नगर निगम सहारनपुर के वेबसाइट www. saharanpurnagarnigam.in पर भी देखी जा सकता है।

1. कम्पनी / फर्म की वित्तीय क्षमता एवं वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर विस्तृत विवरण सहित दे।
2. कम्पन्नी / फर्म विगत् 3 वर्षो की बैलेंस शीट, जो मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित की गयी हो।
3. कम्पन्नी / फर्म के द्वारा बी0ओ0टी0 के आधार पर गत् 10 वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण।
4. अधिष्ठापित किये जाने वाले प्रवेश द्वार के अधिष्ठापन का MOST के मानको के अनुरूप डिजाईन एवं विशिष्टियों का विवरण।
5. सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने एवं उनके संचालन / अनुरक्षण संतोषजनक किये जाने विषयक सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र तथा किये गये अन्य कार्य एवं प्राप्त अनुभव के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाये।

(जितेन्द्र केन) 23/11/2017
मुख्य अभियन्ता
सहारनपुर नगर निगम

प्रतिलिपिः—

1. सम्पादक दैनिक जागरण, Times of India Delhi addition को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन कम से कम स्पेस (9 फॉन्ट) मे कराकर बिल मय दो प्रति सहित कार्यालय मे प्रस्तुत करें। यदि आपकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन को प्रकाशित न करे तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना दने का कष्ट करें।
2. सूचना पट् पर चस्पा हेतु।

23/11/17

23/11/17

(जितेन्द्र केन) 23/11/2017
मुख्य अभियन्ता
सहारनपुर नगर निगम